न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/146

1. उम्मेद थाकन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम अणगासर, तहसील व जिला झुन्झुनूं।

— अपीलान्ट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं, जिला झुंझुनू।
2. तहसीलदार तहसील झुंझुनूं, जिला झुंझुनू।
3. पटवारी हल्का आबूसर, झुंझुनूं, जिला झुंझुनू।
4. इन्द्राज पुत्र कानाराम, उम्र 72 वर्ष,
5. दामोदर चौधरी पुत्र श्री सुमेर सिंह, उम्र 38 वर्ष,
6. सुमेर सिंह पुत्र साबरमल, उम्र 60 वर्ष,
7. हरफूल सिंह पुत्र श्री डालूराम, उम्र 67 वर्ष,
8. बाबुलाल पुत्र श्री नन्द लाल, उम्र 58 वर्ष,
9. जयप्रकाश पुत्र श्री नन्द लाल, उम्र 50 वर्ष,
10. गीता देवी पत्नी श्री नन्द लाल, उम्र 74 वर्ष,
11. जगदीश पुत्र श्री डालूराम, उम्र 64 वर्ष,
12. रोहीताश पुत्र श्री मालाराम, उम्र 52 वर्ष,
13. शांति देवी पत्नी श्री मालाराम, उम्र 66 वर्ष,
14. करनी राम पुत्र श्री डालूराम, उम्र 64 वर्ष,

समस्त निवासीगण ग्राम अणगासर, आबूसर, झुन्झुनूं राजस्थान।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं निर्णय दिनांक 21.01.2025 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 एल.आर.एक्ट मुकदमा नंबर 16/2025 द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना व अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी किये बिना ही अपीलार्थी की कृषि भूमि में से गैर–मुमकिन रास्ता दर्ज करने के संबंध में पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री कुलदीप शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।
3. श्री हिम्मत सिंह, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 14 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 16.10.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 21.01.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 13.02.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के द्वारा दिनांक 15.01.2024 को पटवार मण्डल आबूसर के राजस्व ग्राम अणगासर के हाल भूमि आराजी खसरा नम्बर 37, 39, 348, 344, 343, 686/329, 685/329, 888/323 में सेजाने वाले कदीमी प्रचलित रास्ता जो कि मौके पर चालू हालत में है। इस रास्ते को सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी इत्यादि में रास्ता दर्ज किये जाने हेतु प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट व दस्तावेजात उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं ने तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र (रास्ता प्रस्ताव) स्वीकार कर तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें। रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

में पड़ रहा है वह गैर मु0 रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार झुन्झुनूं को प्रेषित किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2025 को पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 21.01.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट उम्मेद थाकन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं दिनांक 21.01.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान लिखित बहस प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नम्बर 685/329 स्थित ग्राम अणगासर में से होकर कोई रास्ता नहीं जाता है तथा ना ही मौके पर कोई रास्ता चालू है। इसके बावजूद भी अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि से रास्ते का अंकन करते हुए आदेश दिनांक 21.01.2025 जारी किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 03 पटवारी हल्का द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 02 को एक रिपोर्ट दिनांक 09.01.2025 को प्रेषित की गयी तथा उक्त रिपोर्ट को दिनांक 15.01.2025 को प्रत्यर्थी संख्या 02 (उप–तहसीलदार) द्वारा उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं को प्रेषित की गयी, जबकि न तो प्रत्यर्थी संख्या 03 द्वारा मौका देखा गया तथा न ही प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा रिपोर्ट की सत्यता के सम्बन्ध में कोई जांच की गयी। उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की किसी भी प्रकार से पालना नहीं की गयी तथा ना ही अपीलार्थी को सुनवाई हेतु कोई नोटिस दिया गया है, जबकि आक्षेपित आदेश में राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप–6 विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का वर्णन किया गया है तथा उक्त परिपत्र के अनुसार खातेदार को उसकी भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, परन्तु आदेश दिनांक 21.01.2025 के अवलोकन से ही यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, ना ही उसे सुनवाई का कोई अवसर दिया गया। इस प्रकार स्वयं उपखण्ड अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र में वर्णित निर्देशों की पालना नहीं की गयी है। आदेश दिनांक 21.01.2025 में अन्य परिपत्र दिनांक 30.09.2021 का उल्लेख किया गया है। उक्त परिपत्र में भी यह निर्देश दिया गया है कि मौके पर रास्ता चालू होना चाहिये तथा सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया अपना कर आदेश पारित किया जाना चाहिये, परन्तु दिनांक 21.01.2025 का आदेश जारी करते समय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं द्वारा न तो विधिक प्रक्रिया अपनायी गयी है व न ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना की है। उक्त परिपत्र में वर्णित है कि खातेदार द्वारा रास्ते हेतु भूमि राजहित में समर्पण करने से मना किया जाता है तथा भूमि वास्तव में रास्ते के उपयोग में आ रही है तो उक्त भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जा सकते हैं, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में न तो अपीलार्थी की भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है तथा ना ही प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई अनुमति ली गयी है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों की किसी भी प्रकार से कोई पालना नहीं की तथा अपीलार्थी को सुनवाई का कोई नोटिस दिये बिना ही व अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई आपत्तियां मांगे बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2025 अपीलार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि में से गैर–मुमकिन रास्ता दर्ज करने के संबंध में पारित कर कानूनी भूल कारित की है, जो कि अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलाधीन आदेश प्रत्यर्थी संख्या 03 द्वारा भिजवाई गये प्रस्ताव के अनुसार मौके पर प्रचलित रास्ता पुराना बताया गया है तथा उक्त रास्ते पर आवागमन सुचारू रूप

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

से संचालित होना बताया है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 03 द्वारा प्रस्ताव बनाने से पूर्व ना तो मौके पर कोई जांच की तथा ना ही भौतिक रूप से मौके का कोई निरीक्षण किया जबकि मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता ना तो पूर्व में मौजूद था तथा ना ही वर्तमान में अस्तित्व में है तथा अपीलार्थी की कृषि भूमि में कभी भी आमजन द्वारा कोई आवागमन नहीं किया गया है तथा ना ही कभी कोई रास्ता विद्यमान रहा है। यदि वास्तव में प्रत्यर्थी संख्या 03 द्वारा भेजे गये प्रस्ताव में कोई रास्ता विद्यमान होता तथा पूर्व से ही आवागमन होता तो राजस्व नक्शे में उक्त बाबत इन्द्राज होता तथा उक्त प्रस्ताव प्रत्यर्थी संख्या 03 द्वारा अपीलार्थी के पडौसी खातेदारों को नाजायज लाभ पहुंचाने की गर्ज से पडौसी खातेदारों द्वारा प्रस्तुत झूठे प्रार्थना पत्र को आधार बनाकर प्रत्यर्थी संख्या 02 को भेजा गया, इससे यह पूर्णतयाः स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 03 द्वारा दुर्भावनापूर्वक पडौसी खातेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये उनके साथ मिलीभगत कर अपीलार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि में से रास्ता निकलवाने की गरज से गलत एवं झूठा प्रस्ताव विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों से परे जाकर तैयार करवाकर प्रत्यर्थी संख्या 02 को भिजवाया गया तथा प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा भी उक्त प्रस्ताव का किसी प्रकार से कोई भौतिक परीक्षण करवाये बिना व जांच किये बिना ही रास्ता व रिकॉर्ड में अंकन करवाने बाबत प्रत्यर्थी संख्या 01 को प्रेषित किया गया तथा प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा भी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना व प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 द्वारा भेजे गये प्रस्ताव की कोई जांच किये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2025 पारित कर भारी कानूनी भूल की है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के खेत के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 888/323 स्थित है, जिसके अन्दर से कटानी रास्ता स्थित है, जो खसरा नम्बर 859/733 जोहड में से उत्तर की तरफ जाता है। प्रत्यर्थीगण बिना किसी आधार के अपीलार्थी के खेत खसरा नम्बर 685/329 में से उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे बिना किसी आधार के रांस्ता कायम कर दिया है, जिसका उनको कोई विधिक अधिकार नहीं है। खसरा नम्बर 343, 344, 345, 346 खसरा नम्बर 726/326, 788/727 एक ही परिवार के खेत है। उक्त भूमि पूर्व में कानाराम, डालूराम, नानूराम व तारूराम की थी, जो आपस में भाई थे, उनके वारिसान की भूमि है, जो राजकीय भूमि से सटकर है। अपीलार्थी के खेत मे पूर्व में कभी कोई रास्ता नहीं रहा। प्रत्यर्थीगण द्वारा पडौसी खातेदारों को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिये अपीलार्थी के खसरा नम्बर 685/329 में से रास्ता कायम किया गया है, जो कि सरासर गलत व अवैधानिक है। प्रत्यर्थी संख्या 03 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 02 को भेजे गये प्रस्ताव में रास्ता आबादी क्षेत्र या आमजन के उपयोग उपभोग का होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई अंकन नहीं किया है। प्रत्यर्थी संख्या 03 द्वारा द्वेषतापूर्वक बाला–बाला ही अपीलार्थी को सदोष हानि पहुंचाने तथा पडौसी खातेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने व अपीलार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द करने की नियत से उसकी कृषि भूमि में रास्ता होने का कथन करते हुए प्रस्ताव बनाकर प्रत्यर्थी संख्या 02 को प्रेषित किया गया तथा प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा भी किसी प्रकार की कोई जांच किये बिना व मौके पर रास्ता होने के संबंध में कोई जांच रिपोर्ट मंगवाये बिना ही प्रत्यर्थी संख्या 03 के दुराश्य में सहयोग करते हुए प्रस्ताव प्रत्यर्थी संख्या 01 को भिजवा दिया गया तथा उक्त प्रस्ताव पर प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा भी कोई जांच किये बिना तथा कानून के प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2025 पारित कर भारी कानूनी भूल की है, जो कि अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलाधीन आदेश में प्रत्यर्थी संख्या 01 ने वर्णित किया है कि मुताबिक प्रस्ताव रास्ता मौके पर चालू हालत में है तथा इस रास्ते को सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी इत्यादि में रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा सहित रिपोर्ट पेश की है तथा यह भी वर्णित किया है कि तहसीलदार झुंझुनूं के अनुसार उक्त प्रचलित रास्ते को

रिकार्ड में दर्ज किये जाने पर किसी पक्षकार के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है, जबकि तहसीलदार द्वारा ना तो अपीलार्थी से उक्त सम्बन्ध में कोई सहमति ली गयी ना ही अपीलार्थी को कोई नोटिस दिया गया तथा ना ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि अपीलार्थी की उपरोक्त कृषि भूमि के नजदीक कोई आबादी क्षेत्र स्थित नहीं है तथा रास्ता पहले से ही विद्यमान है, जो कि राजस्व रिकार्ड में अंकित है, जिससे सिद्ध होता है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा मौके पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई है यदि वास्तव में रास्ता प्रचलित होता एवं पुराना होता तो राजस्व नक्शे में उक्त रास्ता डोट–डोट या पगडंडी से प्रदर्शित होता, जबकि राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शे में उक्त बाबत कोई इन्द्राज नहीं है। जिससे भी यह पूर्णतयाः सिद्ध है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए तथा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2025 पारित कर भारी कानूनी भूल की है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया तथा ना ही आदेश करने से पूर्व व राजस्व रिकॉर्ड में गैर–मुमकिन रास्ता दर्ज करने से पूर्व कोई नोटिस जारी किये गये, ना ही किसी समाचार पत्र में कोई विज्ञप्ति ही जारी की गई व ना ही कोई आपत्तियां मांगी गयी व केवलमात्र प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2025 पारित किया गया है, जबकि प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि कोई भी आदेश या निर्णय पारित करने से पूर्व हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलाधीन आदेश जिन कृषि भूमियों के संबंध में पारित किया गया है, उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी का हक व अधिकार है तथा अपीलाधीन आदेश से उसके हक व अधिकार प्रभावित होते है व अपीलार्थी अपने स्वामित्व की कृषि भूमि से वंचित होता है तथा उसको सुने बिना ही उसके स्वामित्व की कृषि भूमि को गैर–मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है जो कि न्याय की मंशा के विपरीत है। प्रत्यर्थी संख्या 01 ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2025 पारित कर अपीलार्थी की कृषि भूमि में से कृषि भूमि कम कर राजस्व रिकॉर्ड में गैर–मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है ज़बकि नामांतकरण तस्दीक करने से पूर्व तथा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व समस्त खातेदारों को सुनवाई का अवसर कानूनन आवश्यक रूप से दिया जाना था, परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया, जिस कारण से अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2025 में राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की अनुशंसा में प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 द्वारा प्रस्ताव प्रत्यर्थी संख्या 01 को भेजे जाने का वर्णन किया है, जबकि उक्त परिपत्र के अनुसार मौके पर रास्ता विद्यमान होना चाहिए तथा सुचारू रूप से चालू होना चाहिए। जबकि अपीलार्थी की कृषि भूमि में से ना तो कोई पुराना रास्ता मौके पर विद्यमान था तथा ना ही सुचारू रूप से चालू था। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 द्वारा राजनैतिक प्रभाव के कारण अपीलार्थी की कृषि भूमि में से प्रचलित व पुराना रास्ता बताते हुए प्रस्ताव प्रत्यर्थी संख्या 01 को प्रेषित किया गया तथा उक्त विधि विरूद्ध प्रस्ताव के आधार पर ही प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2025 पारित कर भारी कानूनी भूल की है, जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि ऐसे आदेश जिससे व्यक्तियों के हित व अधिकार प्रभावित होते हो, पारित करने से पूर्व संबंधित व्यक्तियों तथा हितधारियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है, परन्तु अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2025 पारित करने से पूर्व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थी को ना तो कोई सुनवाई का नोटिस दिया गया तथा ना ही उन्हें कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। जिस कारण से अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2025 निरस्त किये जाने योग्य है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय अपने क्षेत्राधिकार व अपने विवेकाधिकार का अनाधिकृत रूप से प्रयोग करते हुये विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की अवहेलना करते हुये पारित किया गया है, जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश किसी भी रूप में आदेश की श्रेणी में नहीं आता है तथा उक्त आदेश पूर्ण रूप से आरबिट्रेरी एण्ड कॉन्ट्रेरी टू लॉ है और स्पष्ट रूप से पक्षपात पूर्ण आदेश है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 21.01.2025 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2025 को निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त आदेश की अनुपालना में राजस्व रिकॉर्ड में की गई समस्त कार्यवाहियों को अपास्त करते हुए पूर्व की स्थिति बहाल की जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 14 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के द्वारा दिनांक 15.01.2024 को पटवार मण्डल आबूसर के राजस्व ग्राम अणगासर के हाल भूमि आराजी खसरा नम्बर 37, 39, 348, 344, 343, 686/329, 685/329, 888/323 में से जाने वाले कदीमी प्रचलित रास्ता जो कि मौके पर चालू हालत में है। इस रास्ते को सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी इत्यादि में रास्ता दर्ज किये जाने हेतु प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट व दस्तावेजात उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं ने तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र (रास्ता प्रस्ताव) स्वीकार कर तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्व किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें। रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड़ रहा है वह गैर मु0 रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार झुन्झुनूं को प्रेषित किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2025 को पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2025 पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को

अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का आबुसर की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार झुन्झुनूं के द्वारा दिनांक 15.01.2024 को पटवार मण्डल आबूसर के राजस्व ग्राम अणगासर के हाल भूमि आराजी खसरा नम्बर 37, 39, 348, 344, 343, 686/329, 685/329, 888/323 में से जाने वाले कदीमी प्रचलित रास्ता जो कि मौके पर चालू हालत में है। इस रास्ते को सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी इत्यादि में रास्ता दर्ज किये जाने हेतु प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट व दस्तावेजात उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं ने तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र (रास्ता प्रस्ताव) स्वीकार कर तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्व किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें। रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड़ रहा है वह गैर मु0 रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार झुन्झुनूं को प्रेषित किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2025 को पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2025 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2025 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.01.2025 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर